

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यविधि ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी भी बात के रहते हुए भी, केन्द्र सरकार उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट सरकार द्वारा प्रबंधित कतिपय सुविधाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान करेगी, जिसमें प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ से अधिक नहीं काटे जाएंगे, बशर्ते वन भूमि के इस प्रकार के विपथन की अनुमति तभी होगी, यदि :-

- (1) उपर्युक्त उपधारा में उल्लिखित उद्देश्यों हेतु विपथित भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम हो; तथा
- (2) ऐसी विकास परियोजनाओं को इस शर्त के अधीन क्लीयरेंस दी जा सकती है कि उसे ग्राम सभा की संस्तुति प्राप्त हो ।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नांकित कार्यविधि बनाई है -

परिभाषा- इस कार्यविधि में यदि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

- क "अधिनियम" का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है ;
- ख "जिला स्तरीय समिति" का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 7 के अंतर्गत गठित समिति है ;
- ग "वन भूमि" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;
- घ "ग्राम सभा" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (छ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;
- ड. "नोडल अधिकारी" का अर्थ कोई भी अधिकारी जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के विपथन से संबंधित मामले को निपटाने हेतु प्राधिकृत किया हो ;
- च "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- छ "यूजर एजेंसी" का अर्थ एक केन्द्रीय विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा एक जिला पंचायत है जो इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार सरकार द्वारा प्रबंधित विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु आग्रह से है ;

ज "ग्राम" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (त) में यथा परिभाषित अर्थ से है ;

2.2 इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों की प्रस्तुति -

1. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार किसी विकास परियोजना हेतु वन भूमि का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक यूजर एजेंसी एक उचित प्रारूप जो फार्म सं. (क) के रूप में संलग्न है, में प्रस्ताव देंगे तथा यह प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभा के सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह इस पर संकल्प ले सके ।
2. वन भूमि के विपथन हेतु संस्तुति देने के लिए संकल्प हेतु ग्राम सभा में कम से कम कुल संख्या के आधे सदस्यों की न्यूनतम संख्या का कोरम अनिवार्य है ।
3. ग्राम सभा की संस्तुति की प्राप्ति के उपरांत यूजर एजेंसी उस प्रस्ताव को उस क्षेत्र के रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसमें ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प भी संलग्न होंगे ।
4. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव क्षेत्र के स्थल का दौरा करेंगे तथा प्रस्ताव की स्वीकृति पर अपने विचार देंगे ।
5. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) को फार्म ख के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा यूजर एजेंसी से प्राप्त प्रस्ताव की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर स्थल दौरा निरीक्षण रिपोर्ट एवं अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ।
6. संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे तथा यदि वह सहमत होंगे तो अपनी सहमति एवं अनुमोदन संबंधी रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) को आर.एफ.ओ. से प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे ।
7. संबंधित डी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आर.एफ.ओ. उक्त क्षेत्र में वन भूमि को चिन्हित कर उसे ग्राम सभा के निरीक्षण के अधीन उक्त यूजर एजेंसी को भूमि विपथन को मान्यता देते हुए सौंप देंगे ।
8. यदि संबंधित मंडल अधिकारी यूजर एजेंसी द्वारा रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते हैं तो अंतिम निर्णय हेतु वह जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेज देंगे ।
9. जिला स्तरीय समिति न्यूनतम 1/3 कोरम के साथ बैठक कर एक अंतिम निर्णय लेकर यदि प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो अभिलेख तथा नक्शे में सुधार को क्रियान्वित करने हेतु डी.एफ.ओ. को अपना निर्णय सूचित कर सकती है ।
10. मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा वन भूमि के विपथन को अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि वन भूमि का विपथन एक विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अनुमत्य होगा तथा उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार विपथित भूमि जिस उद्देश्य से इसका विपथन किया गया था, उस उद्देश्य हेतु यूजर एजेंसी को भूमि सौंपने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू नहीं किए जाने की स्थिति में वन विभाग पुनः उस भूमि को विनियोजित करेगा ।
11. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदनों की तिमाही रिपोर्ट डी.एफ.ओ. द्वारा उस राज्य के नोडल अधिकारी को दी जाएगी तथा वह समेकित तिमाही सूचना सचिव, जनजाति कल्याण विभाग को देंगे, तथा आगे वे समेकित सूचना जनजातीय कार्य एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों को देंगे ।
12. नोडल अधिकारी भी प्रगति की निगरानी करेंगे ।

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क
(पैरा 2.2(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

- (1) प्रस्तावित परियोजना/ योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन ।
- (2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या

ख. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)

ग. वन मंडल

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं;

- (3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता
- (4) प्रत्येक हैक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या

2. प्रस्तावित भवन/ गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण ।

3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण संलग्न करें) ।

4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/ अस्वीकृत

(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं) । (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)

पता.....

तिथि

स्थान

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

प्रपत्र-ख
(पैरा 2.2(4) देखें)
(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)
प्रस्ताव की क्रम संख्या

1 परियोजना/ योजना का स्थान

- (1) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
- (2) जिला
- (3) वन विभाग
- (4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)
क. स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या
ख. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)
- (5) क्या यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है ।

2. प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किए जाने की तिथि का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें ।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार ।

रेंज वन अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय मुहर.....

तिथि

स्थान

कारण का उल्लेख करते हुए स्वीकृत/ अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय मुहर

तिथि

स्थान
